SEM-II -राजभाषा हिंदी में

डॉ.जशाभाई आपका स्वागत करता है।

वैकल्पिक (प्रयोजनमूलक हिंदी) सेम-1

राजभाषा एवं कार्यालय हिंदी के कार्य

युनिट-1. राजभाषा हिंदी संरचना और व्यवहार

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

राजभाषा संबंधी राष्ट्रपति के आदेश

राजभाषा कार्यान्वय समितियाँ

राजभाषा हिंदी संरचना और व्यवहार

हर युग में हर भाषा के दो रूप होते हैं, पहला उसका साहित्यिक रूप और दूसरा कामकाजी रूप, ... प्रयोजनी, ... प्रयोजनमूलक रूप।

हिन्दी का साहित्यिक रूप तो काफ़ी संपन्न है। विकसित है। इसका प्रयोजनमूलक रूप अभी अपनी शैशवावस्था में है।

- प्रयोजनमूलक का अर्थ है -उद्देश्य
- अंग्रजी में इसे फंक्शनल हिंदी कहते हैं।
- प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ है-ऐसी शैलीयुक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए
- भाषा के अध्ययन के दो पक्ष होते हैं - संरचनात्मकहिंदी(ध्वनि,शब्द,रूप,वाक्य) और प्रयोगपरक हिंदी(शास्त्रीय भाषा से पर क्षेत्र विशेष की ऐसी भाषा जो उसके साँचों का प्रयोग उसी रूप में उसके मानक क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता।
- उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंदी का प्रयोग प्रयोजनमूलक है। जिसका एक रूप राजभाषा हिंदी भी है।
- हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में १४ सितम्बर सन् १९४९ को स्वीकार किया गया।

- इसके बाद संविधान में राजभाषा के सम्बन्ध में धारा ३४३ से ३५२ तक की व्यवस्था की गयी।
- इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिये १४ सितम्बर का दिन प्रतिवर्ष हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता
- स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका
- लोकमान्य तिलक,लाला लाजपत राय, पं.मदन मोहन मालवीय, राष्ट्रपिता माहत्मा गांधी,,राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन,डॉ.राजेन्द्रप्रसाद,सेठ गोविंददास,काका कालेलकर,राजाराम मोहनराय,दयानंद सरस्वति आदि का विशिष्ट योगदान
- ब्रह्म समाज,आर्य समाज,प्रार्थना समाज आदि तथा साहित्यिक संस्थाओं में नागरी प्रचारिणी सभा,राष्ट्रभाषा गुजरात विद्धापीठ आदि महत्वपूर्ण भूमिका

राजभाषा हिंदी से पहले संविधान पक्रिया-

1938 में जवाहरलाल नहेरू द्‌वारा स्वतंत्र भारत के अपने संविधान निर्माण हेतु कान्स्टीचुएण्ट एसेम्बली (संविधान-सभा) की मांग रखी गई तब मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स पमीशन की रचना जिसमें दोनों पार्टियों की सहमती हो तो स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना चुनी हुई संविधान-सभा द्‌वारा तैयार करवाई जाए जुलाई1946 में संविधान सभा का चुनाव जिसकी9 दिसंबर से 11दिसंबर कीबैठक में चर्चा 26 जुलाई,1947ई.को भारत के गवर्नर ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित करने की घोषणा मुस्लिन लीग के सदस्य अलग हो गये

14 अगस्त,1947 को भारतीय संविधान-सभा की पहली बैठक

29 अगस्त,1947ई. डॉ.भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग-कमिटी गठित

12 सितंबर से 14 सितंहर तक राजभाषा को लेकर संविधान सभा में चर्चा में अंग्रजी के पक्षधरएन.गोपाल स्वामी आयंगर,नजरुद्दीन अहमद,फ्रेंक एंथनी,नहेरू तो हिंदी के समर्थक आर.पी.धुलेकर, लक्षानारायण साहू,अलगूराम शास्त्री आदि हिंदी के समर्थन में चर्चा उपरांत 14,सितंबर 1949 के दिन हिंदी राजभाषा तथा देवपृनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकीर

राजभाषा हिंदी-प्रशासन की भाषा राष्ट्रभाषा तो सरकारी कार्यालयों में पत्र-पत्रादि की भाषा राजभाषा

केन्द्र सरकार अपना संदेश राज्य सरकारों को भेजती है वह भाषा राजभाषा हिंदी में होता है।

प्रशासन और न्याय की भाषा से विशेष महत्व
केन्द्र सरकार द्वारा आठ क्षेत्रीय कार्यान्वय कार्यालयों –
कोलकाता,गाजियाबाद,गुवाहाटी,मुम्बई,भोपाल,दिल्ली,
कोचीन,और बेंगलूर की स्थापना
43 सलाहकार समितियाँ
परिणाम स्वरूप ज्ञान-विज्ञान,व्यापार-वाणिज्य,विज्ञान,संचार की भाषा बन रही है।
संध की भाषा-संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी
संविधान के बाद 15 वर्षों तक अर्थात् 1965 तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाना था और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह चाहे तो संघ की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी के प्रयोग की अवधि को बढ़ा सकती थी।

संसद ने 1963 में राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित करके यह व्यवस्था कर दी कि संघ भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग 1971 तक करता रहेगा, लेकिन इस नियम में संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गयी कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग अनिश्चित काल तक रहेगा।

राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग प्रत्येक दस वर्ष की अवधि के पश्चात् करेंगे। राजभाषा आयोग में उन भाषाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जो संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इस प्रकार राजभाषा में 18 सदस्य होते हैं।

राजभाषा आयोग का कार्य

राजभाषा आयोग का कर्तव्य निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रपति को सिफ़ारिश देना होता है—

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के अधिकारिक प्रयोग के विषय में,

संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग के निर्बन्धन के विषय में,

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ की तथा राज्य के अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के विषय में,

संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जाने वाले अंकों के विषय में,

संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के विषय में, और संघ की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में, जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे।

राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था।

बी. जी. खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिर्पोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति

राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता था। संसदीय समिति राजभाषा आयोग द्वारा की गयी सिफ़ारिशों का पुनरीक्षण करती है।

संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य तथा दूसरे राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा तथा उनके प्रयोग के विषय में, और

संघ की राजभाषा के बारे में या किसी अन्य विषय में, जो राष्ट्रपति आयोग को सौंपे।

राष्ट्रपति ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। बी. जी. खेर को उस समय राजभाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी।

राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति

राजभाषा आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया जाता था। संसदीय समिति राजभाषा आयोग द्वारा की गयी सिफ़ारिशों का पुनरीक्षण करती है।